# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–132 / 2017
GCMS NO:- 2017/00259
दायर दिनांक: 15.09.2017
पीठासीन अधिकारी :–श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

1. प्रभुलाल आ0 रामकुंवार जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।

–प्रार्थी –

वनाम

1. जमनाशंकर आ0 विरधीलाल जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
2. धनराज आ0 विरधीलाल जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
3. प्रेमवाई पुत्री विरधीलाल जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी हाल पत्नि भज्जुलाल निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0।
4. मथुरावाई पुत्री विरधीलाल जाति धाकड निवासी करवर हाल पत्नि मांगीलाल निवासी सातखाल्या(रामपुरिया) तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
5. शाखा प्रवंधक वैंक ऑफ वडोदा शाखा करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
6. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहव नैनवां जिला वून्दी राज0।
7. उपपंजीयक महोदय उपपंजीयन कार्यालय करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण–

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 212 आर.टी एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार कहार।
अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।

**निर्णय दिनांक** 13.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की खाता संख्या 262 के खसरा संख्या 908 रकवा 15 विस्वा, खसरा संख्या 909 रकवा 01 वीघा 04 विस्वा, खसरा संख्या 1095 रकवा 02 वीघा 05 विस्वा, खसरा संख्या 1097 / 1 रकवा 03 वीघा, खसरा संख्या 2508 / 1 रकवा 22 वीघा 01 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 29 वीघा 05 विस्वा स्थित है। यह कि उपरोक्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 17 / 10 / 2001 को उनकी सम्पूर्ण कृषि भूमि, व्यावसायिक व पारिवारिक सम्पति का विभाजन किया गया था जिसको 100 / – रूपये कीमती स्टाम्प जिसमें 50 रूपये के दो स्टाम्प व एक पाईपेपर कुल किता 3 पर लिखाकर पढ़कर सभी पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। यह कि उक्त कृषि भूमि में से खसरा संख्या 2508 / 1 रकवा 22 वीघा 01 विस्वा भूमि के 1 / 2 हिस्से पर प्रार्थी व 1 / 2 हिस्से पर प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2 काविज है। उक्त भूमि के पूर्वी दिशा की ओर के हिस्से में प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा है तथा पश्चिमी ओर के 1 / 2 हिस्से पर प्रार्थी काविज काश्त है। उक्त प्रकार के काश्त उक्त बंटवारा लिखे जाने से 12 वर्षो पूर्व से ही चला आ रहा है, क्योंकि उक्त भूमि को मुताविक बंटवारा लेख दोनो भाई प्रार्थी व प्रत्यार्थी के पिता द्वारा शामलाती खरीद कर विरधी लाल वडा भाई होने से नाम लगवाई गई थी। लेकिन जब दिनांक 10 / 08 / 2017 को उक्त भूमि को प्रार्थी अपने नाम रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रत्यार्थीगण से कहा तो प्रत्यार्थी ने कहा कि हम तो रजिस्ट्री नही करायेंगे हमने बंटवारा तो लिख रखा है तुमसे हो वो कार्यवाही कर लो। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि मे से चरण संख्या 3 में वर्णित प्रकार से काविज खसरा संख्या 2508 / 1 रकवा 22 वीघा 01 विस्वा में से मुताविक बंटवारा लेख दिनांक 17 / 10 / 2001 की पालनानुसार प्रत्यार्थीगण को ताफैसला वाद प्रत्यार्थी... अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि उक्त भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति को ...हन, ..., दान व अन्य प्रकार से संक्रांत न करे तथा प्रार्थी को उक्त भूमि पर से वेदखल न स्वयं ... न ही अन्य किसी से करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:22:16 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने ... में निवेदन किया कि ... व कूटरचित बंटवारा पत्र को आधार बनाकर अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार कब्जे धारक ... को हडपना चाहता है। अप्रार्थीगण ने कोई बंटवारा प... निष्पादन नही किया है। अतः ... प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील पक्षकार की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन, अध्ययन, मनन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र को निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है–

**1. प्रथम दृष्टया प्रकरण    2. अपूरणीय क्षति    3. सुविधा का संतुलन**

Stay Decesions 2022

**प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 908 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 909 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 1095 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 1097/1 रकबा 03 बीघा, खसरा संख्या 2508/1 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा रहन बेचान एवं खुर्द बुर्द न करने बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों , राजस्व मंडल द्वारा कई निर्णित प्रकरणों में अभिनिर्धारित सिद्धांतो एवं 1964 RRD पेज 88 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति** : चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से की रिकार्डेड आराजी पर काबिज काश्त है। अतः अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही नही उठता है। यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही है।
4. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, बहस एक पक्षीय, राजस्व रिकोर्ड के आधार पर एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दूओ पर विचार करने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:22:16 IST
Reason: SelfAttested